# मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)
खण्ड–2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्र. 12254 /22/वि–12/ग्रासप्रा/ Maint-1/17 भोपाल, दिनांक 11/05/2017

प्रति,

**महाप्रबंधक (समस्त)**
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई,
..... (म.प्र.)

**विषय** :– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत निर्मित मार्गों पर रोड सेफ्टी के संबंध में।

**संदर्भ** :– इस कार्यालय की बैठक दिनांक 20.01.2017

–0–

उपरोक्त विषय में संदर्भित बैठक के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत निर्मित मार्गों पर रोड सेफ्टी के लिए विभिन्न सुझाव पत्र के साथ प्रारूप संलग्न कर प्रेषित है। रोड सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए निर्देशानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

5/5/17
(एम.के.गुप्ता)
प्रमुख अभियंता
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
भोपाल

क्र. 12255 /22/वि–12/ग्रासप्रा/ Maint-1/17 भोपाल, दिनांक 11/05/2017

प्रतिलिपि–

- मुख्य महाप्रबंधक–समस्त, म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा., भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं रीवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

प्रमुख अभियंता 5/5/17
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
भोपाल

D:\2017\Maint\Letter- 17.docx

**विषयः– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत निर्मित मार्गों पर रोड सेफ्टी के संबंध में।**

––000––

मुख्य कार्यपालन अधिकारी के निर्देशानुसार दिनांक 20 जनवरी 2017 को प्रमुख अभियंता कक्ष में रोड सेफ्टी पर विचार हेतु बैठक सम्पन्न हुई जिसमें निम्न अधिकारी उपस्थित थेः–

1. श्री एम.के.गुप्ता, प्रमुख अभियंता।
2. श्री डी.के.पचौरी, मुख्य महाप्रबंधक।
3. श्री जे.एस. सिकरवार, मुख्य महाप्रबंधक।
4. श्री के.सी.ध्रुवकर, मुख्य महाप्रबंधक
5. श्री विजय गुप्ता, महाप्रबंधक, भोपाल।
6. श्री पी.के.श्रीवास्तव, महाप्रबंधक, मुख्यालय।
7. श्री ए.के.नागरिया, महाप्रबंधक, मुख्यालय।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेशों में अनुसार रोड सेफ्टी के बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है। रोड सेफ्टी के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत निर्मित मार्गों निर्माणाधीन एवं पूर्ण मार्गों पर रोड़ सेफ्टी के लिए विभिन्न सुझावों पर चर्चा की गई। रोड सेफ्टी के लिए निम्न आईटमों का क्रियान्वयन किया जाना आवश्यक हैः–

1. रोड सेफ्टी संबंधी आई.आर.सी प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। रोड सेफ्टी के कुछ आई.आर.सी कोड निम्नानुसार हैः–
   - IRC:53- Road Accident Forms A-1 and 4 (FirstRevision)
   - IRC:93- Guidelines on Design and Installation of Road Traffic Signals.
   - IRC:SP:27- Report Containing Recommendations of IRC Regional Workshops on HighwaySafety
   - IRC:SP:32- Road Safety for Children (5-12 Years Old)UnderRevision
   - IRC:SP:44 - Highway Safety Code
   - IRC:SP:55- Guidelines for Safety in Construction Zone
   - IRC:SP:88- Manual of safety audit
   - IRC:35- Code of practice for road marking.
   - MORD -Relavent chapters
   - IRC:SP:20- Relavent chapters
   - IRC:67- Code of practice for road signage
   - MORT&HManual for Safety in Road Design
   - गति नियत्रंण उपाय (Speed, calming measures) के संबंध में प्राधिकरण मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्र क्रं. 23638 दिनांक 23 नवंबर 2011 का पालन किया जाना चाहिये।

   उपरोक्त आई.आर.सी कोड के नवीनतम संस्करण का पालन किया जाए।

2. निर्माण कार्य के समय Road Geomerics एवं अन्य आइटमों से संबंधित IRC प्रावधानों,जो अप्रत्यक्ष रूप से रोड सेफ्टी को प्रभावित करते हैं, का भी पालन किया जाना चाहिए।

- मोड़ (Horigental Curve) पर अतिरिक्त चौडाई तथा सुपर ऐलीवेशन बनाया जाये ।
- पहाडी क्षेत्रों में गहराई की ओर (घाटी) पैरापेटवाल/ गार्ड स्टोन बनाये जाये तथा पहाडी की ओर कटिंग में स्टेबल स्लोप संधारित हो ।
- पहाडी क्षेत्रों में सड़क का ग्रेडिएंट निर्धारित मानदण्ड के अनुरूप हो।
- मार्ग के एक रेखण में आवश्यकतानुसार सिचाई पाइप कासिंग निर्माण के दौरान डाले जाये जिससे बाद में सड़क खोदने की आवश्यकता न हो।

3. सामान्य रूप से आबादी क्षेत्रों तथा हाट बाजार के पास, अन्य मुख्य मार्ग के संगम बिन्दु के निकट, संकीर्ण/कमजोर पुलियों के निकट, शिक्षण संस्था अथवा चिकित्सालय जैसे महत्वपूर्ण भवनों के निकट स्पीड ब्रेकर बनाये जाए। स्पीड ब्रेकर प्रभावित क्षेत्र के दोनो ओर, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार पूरी चौड़ाई में बनाए जाए। आवश्यकतानुसार जेब्रा कासिंग भी बनाई जाए।
    - मुख्य मार्ग यदि नेशनल/स्टेट हाइवे के तहत प्रमुख मार्ग हो तो संगम बिन्दु के पहले Stop अथवा गति सीमा संकेतक लगाये जाने चाहिये। साथ ही स्पीड ब्रेकर भी स्थापित होना चाहिये।
    - मुख्य मार्ग के संगम स्थल पर Flaring करते हुये चौड़ाई बढायी जानी चाहिये।
    - आबादी क्षेत्र, शिक्षण केन्द्र एवं चिकित्सालय के निकट (प्रवेश एवं निर्गम बिंदुओं पर) स्पीड ब्रेकर/गति सीमा संकेतक लगाए जाए।
4. मोड़ पर बाहरी दिशा में 100 मिमी चौड़ाई की रोड़ मार्किंग की जाए। मार्ग में सभी सीडी स्ट्रक्चर के पैरापेट, गार्ड स्टोन निर्धारित रंगों से पेन्ट किए होना चाहिए। ऐसे बड़े वृक्ष तथा इलेक्ट्रिक पोल जो मार्ग की चौड़ाई में अथवा मार्ग के अत्यंत निकट स्थित हैं उनमें भी पेन्ट कर मार्किंग की जानी चाहिए, जिससे रात के समय स्पष्ट रूप से देखे जा सकें।
5. पुलियों पर, खतरनाक मोड़ों पर तथा नहरों के निकट गार्ड स्टोन स्थापित किए जाए।
6. वर्षाकाल में जिन पुलियों के डूबने की संभावना है उनके दोनो ओर चेतावनी सूचक स्थापित किए जाए। साथ ही नाले/नदी का जल स्तर प्रदर्शित करने के लिये संकेतक स्केल लगाया जाए जिसमे HFL तथा खतरे का निशान स्पष्ट रूप से अंकित हो।
7. मार्ग के निकट स्थित कुओ एवं बडे गड्ढों को प्रोटेक्शन वाल से धेरकर सुरक्षा दी जाए।
8. रेलवे क्रासिंग/बिना फाटक की रेलवे लाइन होने पर, दोनों ओर स्पीड ब्रेकर एवं उचित संकेतक लगाए जायें।
9. यदि कम उचाई की विद्युत लाइनें मार्ग को पार कर रही हैं तो उसे ऊँचा करने की कार्यवाही की जाना चाहिए। ऊँचाई बढ़ानें का कार्य होने तक दोनों ओर उचित संकेतक लागाया जाना चाहिए।
10. मार्ग के दोनों तरफ शोल्डर अतिक्रमण से मुक्त एवं साफ होना चाहिए जिससे यातायात के दौरान आसपास चलने वाले वाहनों को देखने में कठिनाई न हो।

रोड सेफ्टी के आइटमों को योजनान्तर्गत मार्गों पर कराने के लिये निम्न वर्गों में बाटकर कार्यवाही की जाना होगी :–

1. **निमार्णाधीन मार्ग**:– योजनान्तर्गत ऐसे मार्ग जिन पर कार्य प्रगति पर है, में डी.पी.आर. प्रावधानों में रोड सेफ्टी संबंधी आईटम सम्मिलित करने के लिए निर्देश हैं तथापि यदि डीपीआर में रोड सेफ्टी आइटमों का प्रावधान नही किया जा सका है तो भी सभी मार्गों में

इनका कियान्वयन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। निर्माण के दौरान रोड geometrics पर भी ध्यान दिया जाए एवं निर्धारित मानदण्डों के अनुसार काम कराया जाए।

2. **5 वर्ष अंतर्गत संधारण मार्ग :–**
    - पैकेज पूर्णता जारी करने एवं अंतिम देयक के निराकरण के उपरांत कोई भी नया काम नही कराया जा सकता। रूटीन मैन्टेनेंस के अंतर्गत सभी आइटम सुनिश्चित कर यातायात को सुरक्षित बनाया जाए।
    - ठेकेदार को 5 वर्ष की परफारमेंस गारंटी से मुक्त करने के पूर्व किये जरने वाले संयुक्त निरीक्षण मे मार्ग पर रोड सेफ्टी के आइटमों की पृथक चेक लिस्ट प्रमाणित की जाएगी।
3. **5 वर्ष/10 वर्ष पश्चात संधारण मार्ग :–**
    - यदि रोड सेफ्टी के आइटम किसी कारण से नही कराये जा सके हैं तो, उन्हें 5/10 वर्ष पश्चात संधारण में आई.आर के अंतर्गत प्रस्तावित किया जाए एवं स्वीकृति उपरांत क्रियान्वयन किया जाए। पहले से स्वीकृत ऐसे पैकेज जिनमें आई. आर. में भी कार्य प्रावधानित नही है उनमें इस प्रकार के कार्यों का आंकलन कर पार्ट–4 आपातकालीन मद से मुख्य महाप्रबंधक की स्वीकृति के उपरांत कार्य कराया जा सकता है।
    - पूर्व ठेकेदार को अनुबुध से मुक्त करने के पूर्व किये जरने वाले संयुक्त निरीक्षण मे मार्ग पर रोड सेफ्टी के आइटमों की पृथक चेक लिस्ट प्रमाणित की जाएगी।

योजनांतर्गत मार्गों पर रोड सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।